भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2237

जिसका उत्तर 12.02.2026 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर आपातकालीन देखभाल सुविधाएं

2237. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे प्रस्तावित, विचाराधीन और वर्तमान में चालू आपातकालीन चिकित्सा एवं अभिघात देखभाल अवसंरचना की विशेषकर आंध्र प्रदेश में सूची का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे ऐसी आपातकालीन एवं ट्रॉमा देखभाल सुविधाओं के माध्यम से सहायता प्राप्त लाभार्थियों (पुरुष, महिला एवं अन्य) की कुल संख्या का विशेषकर आंध्र प्रदेश में वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों पर आपातकालीन केयर सुविधाओं की स्थापना, संचालन एवं उन्नयन हेतु योजना-वार एवं वर्ष-वार आवंटित, स्वीकृत, जारी तथा उपयोग की गई निधियों का विवरण क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अभिघात देखभाल (ट्रॉमा) और बर्न इंजरीज़ की रोकथाम और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू किया है। इस कार्यक्रम के तहत, सरकार ने आंध्र प्रदेश सहित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र को राजमार्गों के किनारे ट्रॉमा केयर सुविधा स्थापित करने में सहायता करने के लिए पहल की है, जिसका समग्र उद्देश्य हर 100 किमी पर एक अखिल भारतीय ट्रॉमा केयर नेटवर्क विकसित करके सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली रोकी जा सकने वाली मौतों को कम करना है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों पर बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) एम्बुलेंस तैनात करता है, जहां राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के पूर्ण गलियारों पर प्रशिक्षित आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन (ईएमटी) / पैरामेडिक कर्मचारी / नर्सों को तैनात किया जाता है। अपनी घटना प्रबंधन क्षमता को बढ़ाने के लिए, एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड के साथ बीएलएस एम्बुलेंस की तैनाती, स्वास्थ्य सुविधाओं की मैपिंग और घटना प्रबंधन कर्मचारियों के प्रशिक्षण के साथ-साथ टोल प्लाजा कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

योजना के अंतर्गत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय तंत्र को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा कार्यान्वित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के मौजूदा तकनीकी प्लेटफॉर्म यानी इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ईडीएआर) और लेनदेन प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) को एकीकृत करके डिजाइन किया गया है। मोटर वाहनों के उपयोग के कारण सड़क दुर्घटना पीड़ितों का समय पर उपचार को सुनिश्चित करने के लिए, टीएमएस को आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस)/112 के साथ जोडा गया है और दिनांक 4 जून, 2025 का.आ. 2489 (अ) के माध्यम से अधिसूचित दिशानिर्देश द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एम्बुलेंस इकोसिस्टम की पहचान, मैपिंग और मजबूती और 112 के साथ इसे जोड़ने की सलाह दी गई है।

संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की कुल परियोजना लागत में स्वीकृत राशि के अलावा एनएच पर आपातकालीन देखभाल सुविधाओं की स्थापना, संचालन और उन्नयन के लिए कोई अलग निधि आवंटन नहीं किया गया है। हालांकि, एनएच पर कार्य मानकों, दिशानिर्देशों, मैनुअल, भारतीय सड़क कांग्रेस के पध्दति संहिता के साथ-साथ सड़क और पुल कार्यों के लिए विर्निदेशों के अनुसार किए जाते हैं जो सभी चिह्नित सड़क सुरक्षा मुद्दों का समाधान करते हैं।

****